न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प माझावास

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 23/2018 रे0वाद
अर्न्तगत धाराः– 188 आर0टी0एक्ट

अनवान

उनवान प्रकरण

1. श्री डालु पिता नारू भील नि0 माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्री भेरा पिता नारू भील नि0 माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. श्री किशन लाल पिता लच्छीराम जाट नि0 माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 29.05.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत् मुकाम माझावास प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माझावास तहसील सहाड़ा के आराजी नम्बर 267 रकबा 0.04 है किस्म गे0मु0 आ.चा. स्थित है जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 वां हिस्सा निहीत हैं। शेष हिस्सा दिगर खातेदारों का हैं। वादीगण अपने हिस्सेनुसार पानी निकालते आ रहे हैं एवं अपने हिस्से की कृषि भूमियों की सिंचाई करते आ रहे हैं एवं उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वादीगण ने उक्त आ.चा. से अपनी आराजी संख्या 259/1, 259/2, 260/1, 260/2 भूमि पर फसल बोते आ रहे हैं। वादीगण ने उक्त आ.चा. की छूट भूमि पर पानी निकालते के लिए संसाधन जिसमें इंजन चडस आदि लगाते आ रहे है तथा वादीगण को अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में बदनियति आ गई हैं जिससे प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन लडाई झगडा करता है एवं वादीगण को जान से मारने के लिए मौके पर लकडियां व कुल्हाडियां लेकर बैठा हुआ है और धमकिया दे रहा है कि अगर कुए पर आये तो हाथ पैर तोड दूंगा। प्रतिवादी संख्या 1 आदतन लडाकू प्रकृति का व्यक्ति है जो वादीगण को अपने 1/4 हिस्से का पानी नहीं निकालने दे रहा है वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 1.12.2017 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को आ.चा. पर जाने व आ.चा. की छूट भूमि का उपयोग करने से मना कर दिया।

वादीगण ने वाद पत्र में रिलीफ चाही है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या 267 रकबा 0.04 है0 किस्म गे0मु0 आ.चा. में वादीगण के 1/4 हिस्से में पानी निकालने व सिंचाई करने में व्यवधान पैदा नहीं करे कुए की छूट की भूमि मे आवागमन करने देवे व सिंचाई के साधन लगाने देवें। वादीगण का 1/4 हिस्से से अधिपत्य नहीं हटावे, वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करे व न सिंचाई उपकरण को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाव।

वादीगण का वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.01.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वरवक्त सुनवाई वादीगण एवं उसके अधिवक्ता तथा प्रतिवादी व पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से जवाब का अवसर बंद किया जाता है। उभय पक्षकारान की बहस सुनी। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस और आकृषित किया कि वादीगण अनु. जनजाति के व्यक्ति होकर आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछडे हुए हैं। वादीगण के नाम ग्राम माझावास के आराजी संख्या 267 रकबा 0.04 है0 किस्म गे.मु. आ.चा. भूमि में वादीगण एवं नारू, खमाण पिता गोपाल के नाम 1/2 हिस्से की भूमि में राजस्व रेकार्ड में दर्ज होते हुए भी उनके हक हिस्से आ.चा. से अपनी खातेदारी भूमि आ0नं0 259/2, व 260/2 में काश्त की हुई फसल की सिंचाई करने पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 जबरन झगडा करता हैं। अंत में दौराने बहस वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया। वर वक्त सुनवाई प्रतिवादी किशन लाल जाट उपस्थित जिसे मजमे आम में सुना गया। प्रतिवादी ने वक्त सुनवाई वादीगण के वाद पत्र में अंकित तथ्यों को मनगड़न्त बताया तथा वाद पत्र खारिज करने बाबत् निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। ग्राम माझावास के आराजी नम्बर 267 रकबा 0.04 है0 किस्म गे.मु. आ.चा. जमाबन्दी 2069 से 2072 में वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होना पाया जाता हैं। उक्त आ.चा. से वादीगण की खातेदारी भूमि में काश्त की हुई भूमि की सिंचाई करने से रोकने का कृत्य प्रतिवादी नम्बर 1 का विधी सम्मत नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र का नियत समयावधि में जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया हैं। पेरोकार सरकार प्रतिवादी नम्बर 2 औपचारिक पक्षकार हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। अतएवः

—: आदेश :—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए का स्वीकार किया जाता है वादीगण के पक्ष में विरूद्ध विपक्षीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादी नम्बर 1 ग्राम माझावास के आराजी नम्बर 267 रकबा 0.04 है0 किस्म गे.मु. आ.चा. में वादीगण एवं नारू, खमाण पिता गोपाल के 1/2 हिस्से में से वाद पत्र में दर्शाये अनुसार वादीगण के 1/4 हिस्से में पानी निकालने व सिंचाई करने में व्यवधान पैदा नहीं करे कुए की छूट की भूमि में वादीगण को आवागमन करने देवें व सिंचाई के साधन लगाने देवे। वादीगण का उक्त हिस्से से आधिपत्य नहीं हटावे। वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करे व न सिंचाई उपकरण को किसी प्रकार की क्षति पहुचावें। तद्नुसार डिक्री जारी की जावें। निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर